फोन न0 0612–2219545 (क
फैक्स न0–0612–22189
Email : dampatnaarmssection@gmail.co
dm-patna.bih@nic.

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

09-01-2014

श्री गिरिधर गोपाल, पिता–स्व0 विरेन्द्र कुमार सिंह, सा0+पो0+थाना– बिहट जिला–पटना द्वारा एक एन0पी0बोर रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2013 समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं0–09–93/201 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक-09.01.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होक बताया गया कि वे शराब व्यवसायी हैं और उनकी शराब की छः दूकानें हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किय गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–756/गो0, दिनांक–17.05.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर द्वारा थानाध्यक्ष, बिहटा के अग्रसारण के आलोक मे आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को मूल में संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, बिहटा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे कृषि कार्य करते हैं एवं उनको लाइसेंसी शराब की दूकान है। तदोपरान्त थानाध्यक्ष के द्वारा आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा

उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री गि गोपाल, पिता–स्व0 विरेन्द्र कुमार सिंह, सा0+पो0+थाना– बिहटा, जिला–पटना को उ द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री गोपाल को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपे अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पास साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्या में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।